Dainik Hindustan (Hindi Edition of Hindustan Times) – 13/12/2006

लिंग भेद की शिकायत आम तौर पर महिलाएं करती हैं पर दहेज विरोधी कानून (498 ए) के मामले में पुरुषों ने संजीदगी से इसकी शिकायत करनी प्रारंभ कर दी है। इस सिलसिले में www.498a.org संस्था ने राष्ट्रपति को अपनी मांगों का ज्ञापन दिया है। इस अपराध को जमानती व कंपाउंडेबल बनाने के साथ ही इस कानून को स्त्री–पुरूष दोनों के लिए समान बनाने के लिए कानून में पति या पत्नी के स्थान पर 'स्पाउज ' शब्द के प्रयोग की मांग की गयी है। मंगलवार को प्रेस कल्ब ऑफइंडिया में इस संबंध में एक पत्रकार वार्ता हुई। इसमें पीड़ित कई व्यक्यिों ने अपनी कथा पत्रकारों के सामने बयान की। एकपीड़ित गौरव निगम ने अपना दर्द बयान करते हुए बताया किसमाज में कमजोर मानी जाने वाली महिला के हाथों प्रताड़ित पुरुष ना तो इसकी शिकायत कर सकता है ना ही कानून उसे कोई रियायत देता है। संस्था की शोध प्रमुख डॉ अनुपमा ने बताया किइस कानून के अंतर्गत सालाना लगभग 40 हजार मामले दर्ज किए जाते हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित करने संबंधी मुकदमे में अपराध केगैरजमानती होने व अपने को निर्दोष साबित करने की जवाबदेही आरोपी होने के कारण इस कानून का दुरुपयोग बढ़ रहा है। यहां तककिसर्वोच्च न्यायलय ने सुशील कुमार शर्मा बनाम भारत सरकार व अन्य मुकदमें में अदालत ने इस दुरुपयोग को कानूनी आतंक वाद की संज्ञा दी थी।